

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0  
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार  
 श्री राम लाल जाति पत्रावली पर उल्लेखित दस्तावेज साक्षात् माई  
 मत्तदाता पर्याप्त पर परिवार राशन कार्ड के साक्षात् पर नाम दर्ज  
 किया जाना उचित है।

ICR नं. 29/10/21  
 29/10/21

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार अधिकारी (सुन्नु) का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अधिसूचना की जाती है / की जाती है।

773  
 21

तहसीलदार, उदयपुरवाटी, गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुन्नु (राज.)  
 :- आदेश :-

दिनांक :- 29/10/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	शिवान्त	2075-78	8	श्री राम लाल जाति माई	राजेंद्र सिंह ज. राम लाल जाति माई

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 568-69

दिनांक :- 29/10/21

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया .....को सूचना के लिए।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी